

श्री मजहर आलम, राजकीय परीकार रेस्पॉन्डेंट



है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के विधान अधिभाषक अधीनस्थ न्यायालय में अपील बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते

कर मूल अपील में अधिभाषक अधीनस्थ न्यायालय पर राजकीय परीकार की बहस सुनी गई। परिशीला अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस को सुना गया एवं न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वीकार सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की प्रभावहीनता की प्रार्थना पत्र की गई। प्रार्थना पत्र की प्रकल्प प्रस्तुत होने पर उक्त रजिस्ट्रार किया गया एवं तलबी रेस्पॉन्डेंट जारी

हुए निरस्त किया जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

ने नायब तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते 3 माह के स्थिति कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय करने, निर्धारित लगान 2.00 रु. का 50 गुणा रूमाना कुल 100 रु. जमा करने तथा कर अतिक्रमण करने एवं पर्यावरणी अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपील को भी से नम्बर 493 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म चारगाह वाके ग्राम जलसीना तहसील दूनी पर कब्जा तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय खरसा अपील का स्थिति में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब

दिनांक 30/10/26

निर्णय

(2) श्री मजहर आलम, राजकीय परीकार रेस्पॉन्डेंट

वर्षादि: (1) श्री शिवराज टण्डी, अधिभाषक अधीनस्थ

पत्रावली सं. 106/2025

विषय: निर्णय नायब तहसीलदार दूनी निर्णय दिनांक 30.10.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान में राजस्व अधिनियम 1956

रेस्पॉन्डेंट.....

नायब तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज

बनाम

अपील.....

राज.

धनराज पुत्र भवरलाल मीना निवासी जलसीना, तहसील दूनी जिला टोंक

05/2026

05.01.2026

03/2026

जीसीएमएस नं.

प्रतिदिनांक

प्रकल्प संख्या

(समस्तन सौकरिया, आर090एफ0 द्वारा अध्याक्षित)

न्यायालय अधिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

सर्वोच्च न्यायालय
दिल्ली



अपीलान्त के विद्वान अधिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परेकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विधि अनुसार जारी नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की प्रत्येक तारीख पर अपीलान्त ने आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म चारगाह बाक ग्राम जलसीना तहसील रूनी पर संवत् 2082 फसल खरीफ में बाजरा की फसल बुवाई कर कर भूमि पर अनाधिकृत अधिकरण किया था। उक्त अधिकृत बाजरा की किस्म चारगाह है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सावधानिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि है। पटवारी हलका की रिपोर्ट से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्त ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अधिकरण किया था। अधिकृत सरकारी भूमि पर बार बार अधिकरण करने का आदेश है, उपलब्ध दस्तावेजों का पर्याप्त जांचा जा सकता है। सावधानिक उपयोग की भूमियों को

तहसीलदार रूनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 को निरस्त करमाया जावे।

कर दिया है। अतः अपील अपीलान्त रवीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नाथब मौके पर अब अपीलान्त का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्त द्वारा शपथ पत्र भी पेश उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्त ने अपना कब्जा हटा लिया है और

को आधार बनाकर तहसीलदार द्वारा साजयाब करने में गलती की है।

अपीलान्त का उक्त आराजी पर कोई पर्याप्त जांच नहीं की गई है। अपीलान्त का उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट अनुसार नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्त का मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नाथब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्त को विरह का फॉर्मेट में नाम पत्र भर कर दिये गये हैं ऐसे बयान साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होते हैं तथा अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष जो पटवारी द्वारा जो बयान लेखबद्ध कराये गये हैं वे एक अपीलान्त का उक्त आराजी पर कोई पर्याप्त जांच नहीं की गई है।

उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाता।

होने के बावजूद कि उक्त भूमि पर अपीलान्त का कब्जा है अथवा नहीं, कब्जा साबित होने के अधीनस्थ नाथब तहसीलदार को मौके पर जाकर मौका निरीक्षण कर यह भी साबित नहीं मंगाई और न मौके का निरीक्षण किया। जबकि विधि अनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने उक्त भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट करने का अवसर दिए बिना ही अपीलान्त के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। दृष्टिगत करने में कानूनी गलती की है। इस प्रकार अपीलान्त को सृजनाई व साक्ष्य सर्वत पेश रूप से व्यक्तितः तामील नहीं करवायी। बिना तामील के अपीलान्त को उक्त कठोर निर्णय से करने से पूर्व अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित

टीक
अतिरिक्त प्रतियाँ,
27/03/2025



30/10/25 दिनांक को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

कानूनी कायदाही की जावेगी।

मैंने अथवा अन्य किसी सरकारी भूमि पर अधिकमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर अपील की जाती है। अपील को हिरासत दी जाती है कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपील को दी गई सिविल कारावास की सजा नाथ तहसीलदार दूनी के निर्णय दिनांक 30.10.2025 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ फलतः अपील अपील आदेशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय

उचित प्रतीत होता है।

हूआ है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना पड़ी हुई है। उक्त आतिकमी द्वारा प्रकार का अधिकमण एवं कब्जा कायम नहीं किया कि आतिकमी द्वारा उक्त भूमि पर से अधिकमण हटा लिया है, वर्तमान में मौके पर भूमि खाली दूनी में मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 197 दिनांक 11.03.2026 से प्रेषित की जिसमें आंकित किया है हेतु नाथ तहसीलदार दूनी से कब्जा संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। नाथ तहसीलदार लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्त में आतिकमित भूमि से अपना कब्जा हटा की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय हमने अधिमापक अपीलान्त व राजकीय प्रयोकार की बहस को सुना एवं बहस पर

एवं उचित है। अतः अपील अपील खारिज की जावे।

आतिकमण से मुक्त करया जाना निरान्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही